

No.ECS-H(I)B(2)16/94 - 1515  
Government of Himachal Pradesh,  
Economics and Statistics Department.

Dated Shimla-171009, the 16<sup>th</sup> March, 2010.

To


The Principal Secretary(Eco.& Stat.) to the  
Govt. of Himachal Pradesh,  
Shimla-171002.

Subject:- Regarding R&P Rules for the post of Jr. Scale Stenographer.

Sir,

With reference to your letter No.PLG-A(1)-2/2006(Jr. Scale Steno), dated the 25<sup>th</sup> Feb., 2010, on the subject cited above, I am to say that the requisite five copies of R&P Rules for the post of Jr. Scale Stenographer which has been published in the Rajpatra are enclosed herewith for your information and necessary action, please.

Yours faithfully,

  
Economic Adviser,  
Govt. of HP.

Encl.As above.

...



# राजपत्र, हिमाचल प्रदेश

हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित

शिमला बुधवार, 10 मार्च, 2010/19 फाल्गुन, 1931

हिमाचल प्रदेश सरकार

योजना विभाग  
(अर्थ एवं सांख्यिकी विभाग)

अधिसूचना

शिमला, 25 जनवरी, 2010

संख्या पी0एल0जी0-ए(1)-2/2006 (Jr. Scale Steno).—हिमाचल प्रदेश की राज्यपाल, भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के परामर्श से, हिमाचल प्रदेश अर्थ एवं सांख्यिकी विभाग, कनिष्ठ वेतनमान आशुलिपिक, वर्ग-III (अराजपत्रित) के पद के लिए इस अधिसूचना से संलग्न 'उपाबंध-क' के अनुसार भर्ती और प्रोन्नति नियम बनाती हैं, अर्थात् :—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश अर्थ एवं सांख्यिकी विभाग, कनिष्ठ वेतनमान आशुलिपिक, वर्ग-III (अराजपत्रित) भर्ती और प्रोन्नति नियम, 2010 है।

(2) ये नियम राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में प्रकाशित किए जाने की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. निरसन और व्यावृत्तियां.—(1) इस विभाग की अधिसूचना संख्या पी0एल0जी0-ए(3)-2/95 तारीख 6-5-1997 द्वारा अधिसूचित और समय समय पर यथा संशोधित हिमाचल प्रदेश अर्थ एवं सांख्यिकी विभाग, कनिष्ठ वेतनमान आशुलिपिक, वर्ग-III (अराजपत्रित) भर्ती और प्रोन्नति नियम, 1997 का एतद्द्वारा निरसन किया जाता है।

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी उपर्युक्त उप-नियम 2 (1) के अधीन इस प्रकार निरसित नियमों के अधीन की गई कोई नियुक्ति, बात या कार्रवाई इन नियमों के अधीन विधिमान्य रूप में की गई समझी जाएगी।

आदेश द्वारा,  
हस्ताक्षरित/-  
प्रधान सचिव।

उपाबन्ध “क”

हिमाचल प्रदेश अर्थ एवं सांख्यिकी विभाग में 5910-20200 रुपए + 2800/- रुपये ग्रेड पे (पी0बी0-2) के पे ब्रैण्ड में कनिष्ठ वेतनमान आशुलिपिक, वर्ग-III (अराजपत्रित) के पद के भर्ती और प्रोन्नति नियम

1. पद का नाम.—कनिष्ठ वेतनमान आशुलिपिक
2. पद (पदों) की संख्या.—01 (एक)
3. वर्गीकरण.—वर्ग-III (अराजपत्रित)।
4. वेतनमान.—(i) नियमित पदधारियों के लिए पे ब्रैण्ड : पी0बी0-2, 5910-20200/- रुपए ।  
(ii) संविदा कर्मचारियों के लिए उपलब्धियां.—8710 रुपए (5910+2800 ग्रेड पे) स्तम्भ संख्या 15-क में दिए गए ब्यौरे के अनुसार।
5. चयन पद अथवा अचयन पद.—अचयन ।
6. सीधी भर्ती के लिए आयु.—18 वर्ष से 45 वर्ष :

परन्तु सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए उपरी आयु सीमा, तदर्थ या संविदा के आधार पर नियुक्त किए गए व्यक्तियों सहित, पहले से ही सरकार की सेवा में रत अभ्यर्थियों को लागू नहीं होगी :

परन्तु यह और कि यदि तदर्थ या संविदा के आधार पर नियुक्त किया गया अभ्यर्थी इस रूप में नियुक्ति की तारीख को अधिक आयु का हो गया हो, तो वह तदर्थ या संविदा के आधार पर नियुक्ति के कारण विहित आयु में छूट के लिए पात्र नहीं होगा :

परन्तु यह और कि अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जन जातियों तथा अन्य वर्गों के व्यक्तियों के लिए उपरी आयु सीमा में उतनी ही छूट दी जा सकेगी, जितनी हिमाचल प्रदेश सरकार के साधारण या विशेष आदेश (आदेशों) के अधीन अनुज्ञेय है :

परन्तु यह और भी कि पब्लिक सेक्टर, निगमों तथा स्वायत्त निकायों के सभी कर्मचारियों को, जो ऐसे पब्लिक सेक्टर, निगमों तथा स्वायत्त निकायों के प्रारम्भिक गठन के समय ऐसे पब्लिक सेक्टर, निगमों/स्वायत्त निकायों में आमेदन से पूर्व सरकारी कर्मचारी थे, सीधी भर्ती में आयु सीमा में ऐसी ही रियायत दी जाएगी जैसी

सरकारी कर्मचारियों को अनुज्ञेय है, किन्तु इस प्रकार की रियायत पब्लिक सेक्टर, निगमों तथा स्वायत्त निकायों के ऐसे कर्मचारिवृन्द को नहीं दी जाएगी जो पश्चातवर्ती ऐसे निगमों/स्वायत्त निकायों द्वारा नियुक्त किए गए थे/किए गए हैं और उन पब्लिक सेक्टर निगमों/स्वायत्त निकायों के प्रारम्भिक गठन के पश्चात् निगमों/स्वायत्त निकायों की सेवा में अन्तिम रूप से आमेलित किए गए हैं/किए गए थे।

नोट:—(1) सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा की गणना उस वर्ष के प्रथम दिवस से की जाएगी जिसमें पद (पदों) को आवेदन आमत्रित करने के लिए, यथास्थिति, विज्ञापित किया गया है या नियोजनालयों को अधिसूचित किया गया है।

(2) अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों कि दशा में सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा और अनुभव, हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार शिथिल किया जा सकेगा।

7. सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित न्यूनतम शैक्षिक और अन्य अर्हताएं:—(1) अनिवार्य अर्हता:—(i) हिमाचल प्रदेश/केन्द्र सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त स्कूल शिक्षा बोर्ड/विश्वविद्यालय से दस जमा दो की परीक्षा पास की हो या इसके समतुल्य हो।

(ii) प्रारम्भिक नियुक्ति के समय दोनों भाषाओं अर्थात् अंग्रेजी/हिन्दी में आशुलिपि तथा टंकण में निम्नलिखित गति रखता हो।

#### आशुलिपि में गति

अंग्रेजी	हिन्दी
अस्सी शब्द प्रति मिनट	सत्तर शब्द प्रति मिनट
चालीस शब्द प्रति मिनट	तीस शब्द प्रति मिनट
अंग्रेजी	हिन्दी
दंकण में गति	दंकण में गति

(iii) भर्ती प्राधिकरण द्वारा कम्प्यूटर में शब्द प्रसंस्करण का यथाविहित ज्ञान रखता हो।

(2) वांछनीय अर्हता:—हिमाचल प्रदेश की रुढ़ियों, रीतियों और बोलियों का ज्ञान और प्रदेश में विद्यमान विशिष्ट दशाओं में नियुक्ति के लिए उपयुक्तता।

8. सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं, प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं:—आयु:—लागू नहीं।

शैक्षिक अर्हता:—लागू नहीं।

9. परीक्षा की अवधि, यदि कोई हो:—दो वर्ष, जिसका एक वर्ष से अनधिक ऐसी और अवधि के लिए विस्तार किया जा सकेगा, जैसा सक्षम प्राधिकारी विशेष परिस्थितियों में और लिखित कारणों से आदेश दे।

10. भर्ती की पद्धति:—भर्ती सीधी होगी या प्रोन्नति, प्रतिनियुक्ति, स्थानान्तरण द्वारा और विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरे जाने वाले पदों की प्रतिशतता:—यथास्थिति, शत प्रतिशत, सीधी भर्ती द्वारा नियमित आधार पर या संविदा के आधार पर भर्ती द्वारा। संविदा पर नियुक्त कर्मचारी स्तम्भ संख्या 15-क में दी गई उपलब्धियां प्राप्त करेगा और तथाकथित स्तम्भ में विनिर्दिष्ट सेवा शर्तों द्वारा विनियमित होगा।

11. प्रोन्नति, प्रतिनियुक्ति, स्थानान्तरण की दशा में श्रेणियां (ग्रेड) जिनसे प्रोन्नति, प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण किया जाएगा.—लागू नहीं ।

12. यदि विभागीय प्रोन्नति समिति विद्यमान हो तो उसकी संरचना.—लागू नहीं ।

13. भर्ती करने में जिन परिस्थितियों में हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा.—जैसा विधि द्वारा अपेक्षित हो।

14. सीधी भर्ती के लिए अनिवार्य अपेक्षा.—किसी सेवा या पद पर नियुक्ति के लिए अभ्यर्थी का भारत का नागरिक होना अनिवार्य है।

15. सीधी भर्ती द्वारा पद पर नियुक्ति के लिए चयन.—सीधी भर्ती के मामले में, पद पर नियुक्ति के लिए चयन, मौखिक परीक्षा के आधार पर किया जाएगा। यदि, यथास्थिति, हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग या अन्य भर्ती प्राधिकरण ऐसा करना आवश्यक या समीचीन समझे, तो लिखित परीक्षा या व्यावहारिक परीक्षा के आधार पर किया जाएगा, जिसका स्तर/पाठ्यक्रम आदि, यथास्थिति, आयोग/अन्य भर्ती प्राधिकरण द्वारा अवधारित किया जाएगा।

15-क. संविदा नियुक्ति द्वारा पद पर नियुक्ति के लिए चयन.—इन नियमों में किसी बात के होते हुए भी पद पर संविदा नियुक्ति, नीचे दिए गए निबन्धनों और शर्तों के अधीन की जाएगी:—

(i) संकल्पना.—(क) इस पॉलिसी के अधीन हिमाचल प्रदेश अर्थ एवं सांख्यिकी विभाग में कनिष्ठ वेतनमान आशुलिपिक को संविदा के आधार पर प्रारम्भ में एक वर्ष के लिए लगाया जाएगा जिसे वर्षानुवर्ष आधार पर आगे बढ़ाया जा सकेगा ।

(ख) पद का हिमाचल प्रदेश अधीनस्थ सेवाएं चयन बोर्ड के कार्यक्षेत्र में आना.—आर्थिक सलाहकार, अर्थ एवं सांख्यिकी विभाग, हिमाचल प्रदेश रिक्त पदों को संविदा के आधार पर भरने के लिए सरकार का अनुमोदन प्राप्त करने के पश्चात्, अध्यपेक्षा को सम्बद्ध भर्ती अधिकरण अर्थात् हिमाचल प्रदेश अधीनस्थ सेवाएं चयन बोर्ड, हमीरपुर के समक्ष रखेगा।

(ग) चयन, इन नियमों में विहित पात्रता शर्तों के अनुसार किया जाएगा ।

(ii) संविदात्मक उपलब्धियां.—संविदा आधार पर नियुक्त कनिष्ठ वेतनमान आशुलिपिक को 8710/- रूपए की समेकित नियत संविदात्मक रकम (जो पे बैंड जमा ग्रेड-पे के प्रारम्भिक के बराबर होगी) प्रतिमास संदत्त की जाएगी। यदि संविदा में एक वर्ष से अधिक की बढ़ौतरी की जाती है, तो पश्चात्पूर्वी वर्ष/वर्षों के लिए संविदात्मक उपलब्धियों में तीन प्रतिशत की रकम (जो पद के पे बैंड जमा ग्रेड-पे के न्यूनतम/प्रारम्भिक आरम्भ में वार्षिक वृद्धि के बराबर) वार्षिक वृद्धि के रूप में अनुज्ञात की जाएगी।

(iii) नियुक्ति/अनुशासन प्राधिकारी.—आर्थिक सलाहकार, अर्थ एवं सांख्यिकी विभाग, हिमाचल प्रदेश नियुक्ति और अनुशासन प्राधिकारी होगा।

(iv) चयन प्रक्रिया.—संविदा नियुक्ति की दशा में पद पर नियुक्ति के लिए चयन, मौखिक परीक्षा के आधार पर किया जाएगा या यदि आवश्यक या समीचीन समझा जाए तो लिखित परीक्षा या व्यावहारिक परीक्षा के आधार पर किया जाएगा, जिसका स्तर/पाठ्यक्रम आदि सम्बद्ध भर्ती अधिकरण अर्थात् हिमाचल प्रदेश अधीनस्थ सेवाएं चयन बोर्ड, हमीरपुर द्वारा अवधारित किया जाएगा।

(v) संविदात्मक नियुक्तियों के लिए चयन समिति.—जैसी सम्बद्ध भर्ती अधिकरण अर्थात् हिमाचल प्रदेश अधीनस्थ सेवाएं चयन बोर्ड, हमीरपुर द्वारा समय-समय पर गठित की जाएगी।

(vi) करार.—अभ्यर्थी को, चयन के पश्चात् इन नियमों से संलग्न उपाबन्ध-ख के अनुसार करार हस्ताक्षरित करना होगा।

(vii) निबन्धन और शर्तः—(क) संविदा के आधार पर नियुक्त व्यक्ति को 8710/- रूपए की नियत संविदात्मक रकम (जो पे बैंड जमा ग्रेड-पे के प्रारम्भिक के बराबर होगी) प्रतिमास संदत्त की जाएगी। संविदा पर नियुक्त व्यक्ति आगे बढ़ाए गए वर्ष/वर्षों के लिए पद के पे-बैंड जमा ग्रेड-पे के न्यूनतम/प्रारम्भिक आरम्भ में तीन प्रतिशत की वृद्धि का हकदार होगा और अन्य कोई सहबद्ध प्रसुविधाएं, जैसे कि वरिष्ठ/चयन वेतनमान आदि नहीं दिया जाएगा।

(ख) संविदा पर नियुक्त व्यक्ति की सेवा पूर्णतया अस्थाई आधार पर होगी। यदि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति का कार्य/आचरण ठीक नहीं पाया जाता है तो नियुक्ति समाप्त किए जाने के लिए दायी होगी।

(ग) संविदा पर नियुक्त व्यक्ति, एक मास की सेवा पूरी करने के पश्चात् एक दिन के आकस्मिक अवकाश का हकदार होगा। यह अवकाश एक वर्ष तक संचित किया जा सकेगा। संविदा पर नियुक्त व्यक्ति को किसी भी प्रकार का अन्य कोई अवकाश अनुज्ञात नहीं होगा। वह चिकित्सा प्रतिपूर्ति और एल0टी0सी0 इत्यादि के लिए भी हकदार नहीं होगा/होगी। केवल प्रसूति अवकाश, नियमानुसार दिया जाएगा।

(घ) नियन्त्रक अधिकारी के अनुमोदन के बिना सेवा में अनाधिकृत अनुपस्थिति से स्वतः ही संविदा का पर्यावसान (समापन) हो जाएगा। संविदा पर नियुक्त व्यक्ति, कर्तव्य (ड्यूटी) से अनुपस्थिति की अवधि के लिए संविदात्मक रकम का हकदार नहीं होगा।

(ङ) संविदा पर नियुक्त व्यक्ति का, एक स्थान से दूसरे स्थान के लिए स्थानान्तरण किसी भी दशा में अनुज्ञात नहीं किया जाएगा।

(च) चयनित अर्थी को सरकारी/रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसायी से अपना आरोग्य प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा। बारह सप्ताह से अधिक की गर्भवती महिला प्रसव होने तक, अस्थाई तौर पर अनुपयुक्त बनी रहेगी। महिला अर्थीयों का किसी प्राधिकृत चिकित्सा अधिकारी/व्यवसायी द्वारा उपयुक्तता के लिए पुनः परीक्षण किया जाएगा।

(छ) संविदा पर नियुक्त व्यक्ति का, यदि अपने पदीय कर्तव्यों के सम्बन्ध में दौरे पर जाना अपेक्षित हो, तो वह उसी दर पर, जैसी नियमित कर्मचारियों को वेतनमान के न्यूनतम पर लागू है, यात्रा भत्ते/दैनिक भत्ते का हकदार होगा।

(ज) नियमित कर्मचारियों की दशा में यथा लागू सेवा नियमों के उपबन्ध, जैसे एफ.आर- एस.आर., छुट्टी नियम, साधारण भविष्य निधि नियम, पेंशन नियम तथा आचरण नियम आदि संविदा पर नियुक्त व्यक्तियों की दशा में लागू नहीं होंगे। वे इस स्तम्भ में यथावर्णित उपलब्धियों आदि के लिए हकदार होंगे।

16. आरक्षण.—सेवा में नियुक्ति, हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा, समय-समय पर अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों/अन्य पिछड़े वर्गों और अन्य प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए सेवा में आरक्षण की बाबत जारी किए गए आदेशों के अधीन होगी।

17. विभागीय परीक्षा.—लागू नहीं।

18. शिथिल करने की शक्ति.—जहां राज्य सरकार की यह राय हो कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह, कारणों को लिखित में अभिलिखित करके, और हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के परामर्श से, आदेश द्वारा, इन नियमों के किन्हीं उपबन्धों को किसी वर्ग या व्यक्तियों के प्रवर्ग या पदों की बाबत, शिथिल कर सकेगी।

कनिष्ठ वेतनमान आशुलिपिक और हिमाचल प्रदेश सरकार के मध्य आर्थिक सलाहकार, अर्थ एवं सांख्यिकी विभाग, हिमाचल प्रदेश के माध्यम से निष्पादित की जाने वाली संविदा/करार का प्रारूप

यह करार श्री/श्रीमति ..... पुत्र/पुत्री श्री  
निवासी..... संविदा पर नियुक्त व्यक्ति (जिसे  
इसमें इसके पश्चात “प्रथम पक्षकार” कहा गया है) और हिमाचल प्रदेश की राज्यपाल के मध्य..... (जिसे  
.....(नियुक्ति प्राधिकारी का पदनाम) (जिसे इसमें इसके पश्चात “द्वितीय पक्षकार”  
कहा गया है) के माध्यम से आज तारीख .....को किया गया।

“द्वितीय पक्षकार” ने उपरोक्त प्रथम पक्षकार को लगाया है और प्रथम पक्षकार ने .....(पद  
का नाम) के रूप में संविदा के आधार पर निम्नलिखित निबंधन और शर्तों पर सेवा करने के लिए सहमति दी  
है :—

1. यह कि प्रथम पक्षकार .....(पद का नाम) के रूप में .....से प्रारम्भ होने  
और..... को समाप्त होने वाले दिन तक, एक वर्ष की अवधि के लिए द्वितीय पक्षकार की सेवा में रहेगा।  
यह विनिर्दिष्ट रूप से उल्लिखित किया गया है और दोनों पक्षकारों द्वारा करार पाया गया है कि प्रथम पक्षकार  
की द्वितीय पक्षकार के साथ संविदा, आखिरी कार्य दिवस को, अर्थात् .....दिन को  
स्वयंमेव ही पर्यवसित (समाप्त) हो जाएगी तथा सूचना नोटिस आवश्यक नहीं होगा।
2. प्रथम पक्षकार की संविदात्मक रकम...../— रूपए प्रतिमास होगी।
3. प्रथम पक्षकार की सेवा, पूर्णतया अस्थायी आधार पर होगी। यदि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति का  
कार्य/आचरण ठीक नहीं पाया जाता है या यदि नियमिति पदधारी उस शक्ति के विरुद्ध नियुक्त/तैनात कर  
दिया जाता है जिसके लिए प्रथम पक्षकार को संविदा पर लगाया गया है, तो नियुक्ति पर्यवसित (समाप्त) की  
जाने के लिए दायी होगी।
4. संविदा पर नियुक्त .....(पद का नाम), एक मास की सेवा पूरी करने के  
पश्चात एक दिन के आकस्मिक अवकाश का हकदार होगा। यह अवकाश एक वर्ष तक संचित किया जा  
सकेगा। संविदा पर नियुक्त.....(पद का नाम) को, किसी भी प्रकार का अन्य कोई अवकाश  
अनुज्ञात नहीं होगा। वह चिकित्सा प्रतिपूर्ति और एल0टी0सी0 इत्यादि के लिए भी हकदार नहीं होगा/होगी।  
केवल प्रसूति अवकाश, नियमानुसार दिया जाएगा।
5. नियन्त्रक अधिकारी के अनुमोदन के बिना कर्तव्यों से अनाधिकृत अनुपस्थिति से स्वतः ही संविदा  
का पर्यावसान (समापन) हो जाएगा। संविदा पर नियुक्त.....(पद का नाम) कर्तव्य (ड्यूटी)  
से अनुपस्थिति की अवधि के लिए वेतन का हकदार नहीं होगा।
6. संविदा के आधार पर नियुक्त अधिकारी/कर्मचारी का एक स्थान से दूसरे स्थान के लिए  
स्थानान्तरण किसी भी दशा में अनुज्ञात नहीं होगा।
7. चयनित अभ्यर्थी को सरकारी/रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसायी से अपना आरोग्य प्रमाण पत्र  
प्रस्तुत करना होगा। महिला अभ्यर्थियों की दशा में, बारह सप्ताह से अधिक की गर्भावस्था प्रसव होने तक, उसे  
अस्थायी तौर पर अनुपयुक्त बना देगी। महिला अभ्यर्थियों का किसी प्राधिकृत चिकित्सा अधिकारी/व्यवसायी  
द्वारा उपयुक्तता के लिए पुनः परीक्षण किया जाना चाहिए।
8. संविदा पर नियुक्त व्यक्ति का, यदि अपने पदीय कर्तव्यों के सम्बन्ध में दौरे पर जाना अपेक्षित  
हो, तो वह उसी दर पर, जैसी नियमित प्रतिस्थानी कर्मचारी को वेतनमान के न्यूनतम पर लागू है, यात्रा  
भत्ते/दैनिक भत्ते का हकदार होगा/होगी।

76

9. संविदा पर नियुक्त व्यक्ति (यों) को, कर्मचारी सामूहिक बीमा योजना के साथ-साथ ई0पी0एफ0/जी0पी0एफ भी लागू नहीं होगा।

इसके साक्ष्यस्वरूप प्रथम पक्षकार और द्वितीय पक्षकार के साक्षियों की उपस्थिति में इसमें सर्वप्रथम उल्लिखित तारीख को अपने अपने हस्ताक्षर कर दिए हैं।

साक्षियों की उपस्थिति में:

1.....

.....

.....

(नाम व पूरा पता)

2.....

.....

.....

(नाम व पूरा पता)

प्रथम पक्षकार के हस्ताक्षर

साक्षियों की उपस्थिति में

1.....

.....

.....

(नाम व पूरा पता)

2.....

.....

.....

(नाम व पूरा पता)

द्वितीय पक्षकार के हस्ताक्षर

[Authoritative English text of this Department Notification No. PLG-A(1)-2/2006 (Jr. Scale Steno) Dated 25.02.2010 as required under clause (3) of Article 348 of Constitution of India].

**PLANNING DEPARTMENT  
(Economics & Statistics)**

NOTIFICATION

25 February, 2010

**No. PLG-A(1)-2/2006(Jr. Scale Steno).**— In exercise of the powers conferred by proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor, Himachal Pradesh, in consultation with the Himachal Pradesh Public Service Commission, is pleased to make the Recruitment and Promotion Rules for the post of Junior Scale Stenographer, Class-III (Non-Gazetted) in the Department of Economics and Statistics, Himachal Pradesh as per Annexure "A" attached to this notification; namely:—

**1. Short title and Commencement.**—(1) These rules may be called the Himachal Pradesh, Economics and Statistics Department, Junior Scale Stenographer, Class-III (Non-Gazetted) Recruitment and Promotion Rules, 2010.

(2) These rules shall come into force from the date of publication in the Rajpatra, Himachal Pradesh.

**2. Repeal and Savings.**—(1) The Himachal Pradesh, Economics and Statistics Department-Junior Scale Stenographer, Class-III (Non-Gazetted) Recruitment and Promotion Rules, 1997, notified vide this Department Notification No. PLG-A(3)2/95, dated the 6-5-1997 and as amended from time to time are hereby repealed.

(2) Notwithstanding such repeal, any appointment made of anything done or any action taken under the relevant rules so repealed under sub rule 2(1) supra, shall be deemed to have been validly made, done or taken under these Rules.

By order,  
Sd/-  
Principal Secretary.

**ANNEXURE-"A"**

**RECRUITMENT AND PROMOTION RULES FOR THE POST OF JUNIOR SCALE  
STENOGRAPHER, (CLASS-III, NON-GAZETTED), IN THE PAY BAND OF  
RS. 5910-20200 + 2800 GRADE PAY(PB- 2), IN THE DEPARTMENT  
OF ECONOMICS AND STATISTICS, HIMACHAL PRADESH**

1. **Name of the post.**—Junior Scale Stenographer.
2. **Number of post(s).**—01 (One)
3. **Classification.**—Class-III (Non-Gazetted)

4. **Scale of pay.**—(i) *Pay band for regular incumbents.*—PB-2 Rs. 5910-20200.

(ii) *Emoluments for Contract employees.*—Rs.8710/-(Rs.5910+2800 GP) as per details given in Col. 15-A.

5. **Whether selection post or nonselection post.**—Non-Selection.

6. **Age for direct Recruitment.**—Between 18 and 45 years

Provided that the upper age limit for direct recruits will not be applicable to the candidates already in service of the Government including those who have been appointed on *ad hoc* or on contract basis;

Provided further that if a candidate appointed on *ad hoc* basis or on contract basis had become overage on the date when he/she was appointed as such he/she shall not be eligible for any relaxation in the prescribed age limit by virtue of his such *ad hoc* or contract appointment;

Provided further that upper age limit is relaxable for Scheduled Castes/Scheduled Tribes/Other Backward categories of persons to the extent permissible under the general or special order(s) of the Himachal Pradesh Government;

Provided further that the employees of all the Public Sector Corporations and Autonomous Bodies who happened to be Government Servants before absorption in Public Sector Corporations/Autonomous Bodies at the time of initial constitutions of such Corporations/Autonomous Bodies shall be allowed, age concession in direct recruitment as admissible to Government servants. This concession will not, however, be admissible to such staff of the Public Sector Corporations/Autonomous Bodies who were/are subsequently appointed by such Corporations/Autonomous Bodies and who are/were finally absorbed in the service of such Corporations/Autonomous Bodies after initial constitutions of the Public Sector Corporations/Autonomous Bodies.

(1) Age limit for direct recruitment will be reckoned on the first day of the year in which the Post(s) is/are advertised for inviting applications or notified to the Employment Exchanges or as the case may be.

**Note.**—(2) Age and experience in the case of direct recruitment relaxable at the discretion of the H. P. Public Service Commission in case the candidate is otherwise well qualified.

7. **Minimum educational and other qualifications required for direct recruits.**—

(a) *Essential Qualification.*—(i) Should have passed 10+2 examination or its equivalent from a Board /University recognized by Himachal Pradesh/Central Government.

(ii) Must possess the following speed in shorthand and typewriting in both the languages *i.e.* English and Hindi at the time of initial.

#### Speed in Shorthand

*English*

80

W.P.M.

*Hindi*

70

W.P.M.

**Speed in Typewriting**

<i>English</i>	<i>Hindi</i>
40	30
W.P.M.	W.P.M.

(iii) Should have the knowledge of word processing in computer as prescribed by the recruiting authority.

(b) *Desirable Qualification.*—Knowledge of customs, manners and dialects of Himachal Pradesh and suitability for appointment in the peculiar conditions prevailing in the Pradesh.

**8. Whether age and educational qualification prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees.**—*Age.*—Not applicable.

*Educational Qualification.*—Not applicable.

9. Period of probation, if any. Two years subject to such further extension for a period not exceeding one year as may be ordered by the competent authority in special circumstances and reasons to be recorded in writing.

**10. Method of recruitment.**—*whether by direct recruitment or by promotion, deputation, transfer and the percentage of posts to be filled in by various methods.*—100% by direct recruitment on regular basis or by recruitment on contract basis as the case may be. The contract employees will get emoluments as given in Col. 15-A and will be governed by service conditions as specified in the said column.

**11. In case of recruitment by promotion, deputation, transfer, grades from which promotion/deputation/transfer is to be made.**—Not applicable.

**12. If Departmental Promotion Committee exists, what is its composition?** .—Not applicable.

**13. Circumstances under which the H.P. Public Service Commission is to be consulted in making recruitment.**—As required under the law.

**14. Essential requirement for a direct recruitment.**—A candidate for appointment to any service or post must be a citizen of India.

**15. Selection for appointment to post by direct recruitment.**—Selection for appointment to the post in the case of direct recruitment shall be made on the basis of vivavoce test, if Himachal Pradesh Public Service Commission or other recruiting authority as the case may be, so considered necessary or expedient by a written test or practical test, the standard/syllabus, etc. of which, will be determined by the recruiting authority, as the case may be.

**15-A. Selection for appointment to post by contract appointment.**—(NEW PROVISION) .—Notwithstanding anything contained in these rules, contract appointments to the post will be made subject to the terms and conditions given below:—

(I) **CONCEPT.**—(a) Under this policy the **Junior Scale stenographer** in Department of Economics and Statistics, Himachal Pradesh will be engaged on contract basis initially for one year, which may be extendable on year to year basis.

(b) **POST FALLS WITHIN THE PURVIEW OF HP SSSB.**—The Economic Adviser, Economics and Statistics Department, Himachal Pradesh after obtaining the approval of the Government to fill up the vacant post on contract basis will place the requisition with the concerned recruiting agency *i.e.* H. P. Subordinate Services Selection Board, Hamirpur.

(c) The selection will be made in accordance with the eligibility conditions prescribed in these Rules.

(II) **CONTRACTUAL EMOLUMENTS.**—The **Junior Scale stenographer** appointed on contract basis will be paid consolidated fixed contractual amount @ 8710- P.M. (which shall be equal to initial of the pay band + Grade Pay). An amount of 3% (equal to annual increase in the minimum/ initial start of the pay band + Grade pay of the post) as per annual increase in contractual emoluments for the subsequent year(s) will be allowed if contract is extended beyond one year.

(III) **APPOINTING/DISCIPLINARY AUTHORITY.**—The Economic Adviser, Economics and Statistics Department, Himachal Pradesh will be the appointing and disciplinary authority.

(IV) **SELECTION PROCESS.**—Selection for appointment to the post in the case of Contract Appointment will be made on the basis of viva-voce test or if consider necessary, or expedient by a written test or practical test the standard/syllabus etc. of which will be determined by the concerned recruiting agency *i.e.* H. P. Subordinate Services Selection Board, Hamirpur.

(V) **COMMITTEE FOR SELECTION OF CONTRACTUAL APPOINTMENTS.**—As may be constituted by the concerned recruiting agency *i.e.* the H.P. Subordinate Services Selection Board, Hamirpur from time to time.

(VI) **AGREEMENT.**—After selection of a candidate, he/she shall sign an agreement as per Annexure-B appended to these Rules.

(VII) **TERMS & CONDITIONS.**—(a) The contractual appointee will be paid fixed contractual amount @ Rs. 8710/- per month (which shall be equal to initial of the pay band+Grade pay). The contract appointee will be entitled for 3% increase in the minimum/initial start of the pay band+Grade pay of the post) for further extended years and no other allied benefits such as senior/selection scales etc. will be given.

(b) The service of the Contract Appointee will be purely on temporary basis. The appointment is liable to be terminated in case the performance/conduct of the contract appointee is not found satisfactory.

(c) Contract appointee will be entitled for one day casual leave after putting one month service. This leave can be accumulated up to one year. No leave of any other kind is admissible to the contract appointee. He/She shall not be entitled for Medical reimbursement and L.T.C. etc. Only Maternity leave will be given as per rules.

(d) Unauthorized absence from duty without the approval of the controlling officer shall automatically lead to the termination of the contract. Contract Appointee shall not be entitled for contractual amount for the period of absence from duty.

(e) Transfer of a contract appointee will not be permitted from one place to another in any case.

(f) Selected candidate will have to submit a certificate of his/her fitness from a Govt./ Registered Medical Practitioner. Women candidate pregnant beyond twelve weeks will stand temporarily unfit till the confinement is over. The women candidate will be re-examined for the fitness from an authorized Medical Officer/ Practitioner.

(g) Contract appointee will be entitled to TA/DA if required to go on tour in connection with his/her official duties at the same rate as are applicable to regular officials at the minimum of pay scale.

(h) Provisions of service rules like FR, SR, Leave Rules, GPF Rules, Pension Rules and Conduct Rules, etc. as are applicable to regular employees will not be applicable in case of contract appointees. They will be entitled for emoluments etc. as detailed in this Column.

**16. Reservation.**—The appointment to this service shall be subject to orders regarding reservation in the services for Scheduled Castes/ Scheduled Tribes/other Backward Classes/Other categories of persons issued by the Himachal Pradesh Government from time to time.

**17. Departmental Examination.**—Not applicable.

**18. Power to relax.**—Where the State Government is of the opinion that it is necessary or expedient to do so, it may by order for reasons to be recorded in writing and in consultation with the Himachal Pradesh Public Service Commission relax any of the provisions of these Rules with respect to any class or category of person or posts.

#### ANNEXURE-B

**Form of contract /agreement to be executed between the Junior Scale Stenographer and the Government of Himachal Pradesh through Economic Adviser, Economics and Statistics Department, Himachal Pradesh**

This agreement is made on this \_\_\_\_\_ day of \_\_\_\_\_ in the year \_\_\_\_\_ between \_\_\_\_\_ Sh./Smt. \_\_\_\_\_ S/o D/o Shri. \_\_\_\_\_ R/o \_\_\_\_\_ contract appointee (hereinafter called the FIRST PARTY), AND The Governor of Himachal Pradesh through \_\_\_\_\_ (Designation of the Appointing Authority) Himachal Pradesh (here-in-after the SECOND PARTY).

Whereas, the SECOND PARTY has engaged the aforesaid FIRST PARTY and the FIRST PARTY has agreed to serve as a \_\_\_\_\_ (Name of the post) on contract basis on the following terms & conditions:—

1. That the FIRST PARTY shall remain in the service of the SECOND PARTY as a \_\_\_\_\_ (Name of the post) for a period of 1 year commencing on day of \_\_\_\_\_ and ending on the day of \_\_\_\_\_. It is specifically mentioned and agreed upon by both the parties that the contract of the FIRST PARTY with SECOND PARTY shall ipso-facto stand terminated on the last working day *i.e.* on \_\_\_\_\_ and information notice shall not be necessary.
2. The contractual amount of the FIRST PARTY will be Rs /- per month.



3. The services of FIRST PARTY will be purely on temporary basis. The appointment is liable to be terminated in case the performance/contract of the contract appointee is not found good or if a regular incumbent is appointed/ posted against the vacancy for which the first party was engaged on contract. 4. Contractual \_\_\_\_\_ (Name of the post) will be entitled for one day casual leave after putting in one month service. This leave can be accumulated up to one year. No leave of any kind is admissible to the contractual \_\_\_\_\_ (Name of the post). He/she will not be entitled for Medical Reimbursement and LTC etc. Only maternity leave will be given as per Rules.

5. Unauthorized absence from the duty without the approval of the controlling officer shall automatically lead to the termination of the contract. A contractual \_\_\_\_\_ (Name of the post) will not be entitled for salary for the period of absence from duty.

6. Transfer of officer/ official appointed on contract basis will not be permitted from one place to another in any case.

7. Selected candidate will have to submit a certificate of his/her fitness from a Government/Registered Medical Practitioner. In case of women candidates pregnant beyond twelve weeks will render her temporarily unfit till the confinement is over. The women candidate should be re-examined for fitness from an authorized Medical Officer/Practitioner.

8. Contract appointee shall be entitled to TA/DA if required to go on tour in connection with his official duties at the same rate as applicable to regular counter-part officer/official.

9. The Employees Group Insurance Scheme as well as E.P.F./G.P.F. will not be applicable to contractual appointee(s).

IN WITNESS THE FIRST PARTY AND SECOND PARTY have herein to set their hands the day, month and year first, above written.

**IN THE PRESENCE OF WITNESS:**

1. \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
(Name and Full Address)

(Signature of the FIRST PARTY)

2. \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
(Name and Full Address)

**INTHE PRESENCE OF WITNESS:**

1. \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
(Name and Full Address)

(Signature of the SECOND PARTY)

2. \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
(Name and Full Address)